प्रारूप –दो

कार्यालय
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा, रायपुर)
दूरभाष कमांक 0771–4240278, ई–मेल– jdeduraipur@gmail.com

कमांक / विभागीय मान्यता / आर–0007 / 2021 / 82 रायपुर, दिनांक 20 MAY 2021

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
गोदरीवाला एजुकेशन सोसायटी,एमएम स्कूल, ग्राम–नकटी, सम्मानपुर नया रायपुर
जिला–रायपुर(छ.ग.) पं.क. 23806
एम.एम.स्कूल, सम्मानपुर, ग्राम नकटी, जिला रायपुर(छ.ग.)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये ,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) तथा छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता में दिये गए प्रावधान के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र ।

संदर्भ :– जिला शिक्षा अधिकारी जिला–रायपुर छ.ग. के ज्ञाप कमांक / विभागीय–मान्यता / 2021 / 3551 दिनांक 25.03.2021

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 01.02.2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर(छ.ग.) के अनुशंसा उपरांत, में , एम.एम.स्कूल, सम्मानपुर, ग्राम नकटी, जिला रायपुर(छ.ग.) विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2021–22 से 2023–24 तक 03 वर्षो की अवधि के लिए, कक्षा नर्सरी एवं कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं (माध्यम–अंग्रेजी) तक के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये ,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता होगी । जिसकी शर्ते निम्नानुसार होंगी।

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता / संबंध्दता करने के लिए कोई बाध्यता विविक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम , 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा । परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा ।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक , किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।
(पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

For, Godriwala Education Society

Secretory

PRINCIPAL
MM School
Vill.- Nakati, Dharampur
Near Airport, Raipur (C.G.)

(छः) अध्यापकों की भर्ती , अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–
कुल निर्मित का क्षेत्र	–
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	–
कक्षाओं की संख्या	–
प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष	–
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–
पेयजल सुविधा	–
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई	–
बाधारहित पहुँच	–

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद के उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता –

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जो रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक , वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण , नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 2021–आर–0007 है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इए संख्यांक का उल्लेख करें ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

(1)छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्यपुस्तकें मान्य होगी तथा भवन एवं अन्य सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा ।

(2) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा ।

(3) कक्षा नवमीं से बारहवीं के लिए हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से सम्बद्धता / मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

(4) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)
रायपुर, दिनांक

पृष्ठां.कमांक / विभागीय मान्यता / आर–0007 / 2021 /

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2, कम्युनिटी सेन्टर प्रीत विहार, दिल्ली(भारत)–110092
2. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला–रायपुर(छ.ग.) ।
4. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, धरसींवा जिला–रायपुर (छ.ग.) ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

sd/–
संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)

Mayur Thourani
Digitally signed by Mayur Thourani
Date: 2022.09.14 13:29:02 +05'30'

For, Godriwala Education Society
Secretory

PRINCIPAL
MM School
Vill.- Nakati, Dharampur
Near Airport, Raipur (C.G.)

SUSHMITA DEB
Digitally signed by SUSHMITA DEB
Date: 2022.09.14 14:34:06 +05'30'